वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2021–2022)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 4004137
वेबसाईट : www.mperc.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	आयोग की संरचना ।	3
2.	कार्यकारी संक्षिप्त विवरण ।	4
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण ।	5 से 11
4.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु ।	12 से 14
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/ परिवर्धन सम्मिलित ।	15 से 16
6	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की संख्या ।	17
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति ।	18
8.	राज्य परामर्शदात्री समिति की जानकारी ।	19 से 20

अध्याय – 1

आयोग की संरचना

श्री एस.पी.एस. परिहार द्वारा दिनांक 15/07/2020 को आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है। आयोग के दो सदस्य क्रमशः श्री मुकुल धारीवाल दिनांक 02/01/2018 से तथा श्री गोपाल श्रीवास्तव दिनांक 04/02/2022 से पदस्थ हैं।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण
(वित्तीय वर्ष 2021–22 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य भार ग्रहण तिथि	कार्यकाल	वर्तमान/ सेवानिवृत्त
1.	श्री एस.पी.एस. परिहार	अध्यक्ष	15.07.2020	02.01.2025	वर्तमान
2.	श्री मुकुल धारीवाल	सदस्य	02.01.2018	01.01.2023	वर्तमान
3.	श्री शशि भूषण पाठक	सदस्य (विधि)	16.08.2019	09.12.2021	सेवानिवृत्त
4.	श्री गोपाल श्रीवास्तव	सदस्य (विधि)	04.02.2022	06.01.2027	वर्तमान

अध्याय – 2

कार्यकारी संक्षिप्त विवरण

2.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया । तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा 3 जुलाई 2001 को विद्युत सुधार अधिनियम 2000 प्रभावी किया गया तथा नियामक आयोग को इस राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित माना गया । इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है, जिसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, को गठित एवं कार्यशील माना गया है ।

2.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अंतर्गत, आयोग से प्रत्येक वर्ष में, पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है, जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

2.3 मध्य प्रदेश शासन द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट), नियम 2019'' जारी किए गए हैं । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे प्रतिवर्ष राज्य शासन को प्रेषित किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित है ।

अध्याय – 3

(अ) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित जारी किये गये टैरिफ आदेश

स. क्रं.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	आदेश दिनांक
1	P-02/2020	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के ताप तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों का वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आयोग के बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) आदेश दिनांक 14.7.2016 के तहत अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन से संबंधित याचिका ।	29.04.2021
2	P-44/2020	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड नोएडा (बीना थर्मल पावर स्टेशन)	दिनांक 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु मध्यप्रदेश राज्य के सागर जिले में बीना स्थित कोयला आधारित विद्युत परियोजना के 2x250 मेगावाट संयन्त्रों की बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण से संबंधित याचिका।	30.04.2021
3	P-46/2020	मेसर्स एमबी पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड	दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से दिनांक 31 मार्च, 2024 की नियन्त्रण अवधि हेतु मध्यप्रदेश राज्य में जिला अनूपपुर स्थित अनूपपुर ताप विद्युत परियोजना (चरण–1) की इकाई क्रमांक–1 तथा इकाई क्रमांक–2 (प्रत्येक की क्षमता 600 मेगावाट) हेतु बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण से संबंधित याचिका।	01.05.2021
4	P-43/2020	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड नोयडा (निगरी थर्मल पावर स्टेशन)	दिनांक 1 अप्रैल 2019 से दिनांक 31 मार्च 2024 की नियन्त्रण अवधि हेतु मध्यप्रदेश राज्य के जिला सिंगरौली में निगरी स्थित 2x660 मेगावाट क्षमता के सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण से संबंधित याचिका ।	03.05.2021

5	P-47/2020	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड	दिनांक 1 अप्रैल 2019 से दिनांक 31 मार्च 2024 की नियन्त्रण अवधि हेतु मध्यप्रदेश राज्य के जिला सिवनी में बरेला–गोरखपुर स्थित 1x600 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजना के संबंध में बहुवर्षीय उत्पादन विद्युत–दर अवधारण से संबंधित याचिका ।	08.05.2021
6	P-25/2020	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन जिला खण्ड स्थित श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना चरण–II हेतु इकाई क्रमांक 3 तथा 4 के अन्तरिम विद्युत उत्पादन टैरिफ के अवधारण से संबंधित याचिका ।	18.05.2021
7	P-53/2020	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86(1) (a) के अधीन दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 की नियन्त्रण अवधि हेतु मध्यप्रदेश जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के ताप तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु याचिका ।	19.05.2021
8	एस एमपी क्रमांक 27 / 2021	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग	मध्यप्रदेश राज्य में बगास (Bagasse) आधारित विद्युत सह–उत्पादन परियोजना से वितरण अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु समस्तरीय विद्युत–दर (levelized Tariff) का अवधारण संबंधित याचिका ।	19.08.2021
9	P-60/ 2020	(i) मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। (ii)मेसर्स पीटीसी इण्डिया लिमिटेड। (iii) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड।	वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु मेसर्स लैंकों अमरकंटक पावर लिमिटेड, कोरबा, छत्तीसगढ़ की इकाई क्रमांक 1 (क्षमता 300 मेगावाट) से पीटीसी इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड को दीर्घ–अवधि विद्युत आपूर्ति के विरूद्ध प्रयोज्य मप्रविनिआ विद्युत–दर विनियमों के अनुसार विद्युत–दर के अवधारण से संबंधित याचिका ।	24.08.2021
10	एसएमपी–35 / 2021	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग	मध्यप्रदेश राज्य में नगर पालिक ठोस अपशिष्ट (MSW) आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा	21.09.2021

			उत्पादित विद्युत की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण संबंधित याचिका ।	
11	P-17/2018	मेसर्स बीएलए पावर लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु मेसर्स बीएलए पावर लिमिटेड द्वारा जिला गाड्रवारा ग्राम निवाड़ी में स्थित विद्युत उत्पादन संयन्त्र (2x45MW) की इकाई क्रमांक 2 की बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण से संबंधित याचिका ।	25.10.2021
12	P-34/2021	मेसर्स एमबी पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86(1) (a) के अधीन मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ की निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कोयला आधारित अनूपपुर ताप विद्युत परियोजना (क्षमता 1200 मेगावाट) हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन से संबंधित याचिका ।	07.12.2021
13	P-37/2021	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड	मध्यप्रदेश राज्य में जिला सिवनी स्थित बरेला–गोरखपुर में 1X600 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजना के बारे में वित्तीय 2019–20 हेतु सत्यापन से संबंधित याचिका ।	07.12.2021
14	P-39/2021	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, बीना	मध्यप्रदेश राज्य में जिला सागर स्थित बीना में 2x250 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजना के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 30.4.2021 के माध्यम से वित्तीय 2019–20 हेतु अवधारित विद्युत–दर के सत्यापन संबंधित याचिका।	07.12.2021
15	P-40/2021	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, निगरी	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86 (1) (a) सह पठित मप्रविनिआ विनियम 2020 के विनियम 9.4 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में जिला सिंगरौली में निगरी स्थित 2x660 मेगावाट कोयला आधारित परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के बारे में बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 03.05.2021 द्वारा	07.12.2021

			अवधारित विद्युत–दर के सत्यापन से संबंधित याचिका ।	
16	एसएमपी P-52/2021	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	मध्यप्रदेश राज्य में बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादित विद्युत की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु विद्युत–दर के अवधारण से संबंधित याचिका ।	07.12.2021
17	P-48/2021	मध्यपद्रेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आयोग द्वारा बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश दिनांक 19 मई, 2021 के माध्यम से आयोग द्वारा अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन से संबंधित याचिका ।	24.03.2022
18	P-28/2021	राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC), जबलपुर	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) का अवधारण, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सत्यापन तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण एवं वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन विषयक ।	06.12.2021
19	P-41/2021	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 10 मई, 2021 के माध्यम से मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु अवधारित पारेषण टैरिफ के सत्यापन विषयक ।	07.12.2021
20	P-45/2020	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	बहुवर्षीय टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु) की नियन्त्रण अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की याचिका विषयक ।	19.05.2021

(ब) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ तथा सत्यापन आदेश

क्रमांक	खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	याचिका क्रमांक 55/2018 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर की सत्यापन याचिका विषयक आदेश।	24.05.2021
2	याचिका क्रमांक 30/2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर की सत्यापन याचिका विषयक आदेश।	24.05.2021
3	याचिका क्रमांक 37/2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर की सत्यापन याचिका विषयक आदेश।	24.05.2021
4	याचिका क्रमांक 41/2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर की सत्यापन याचिका विषयक आदेश।	24.05.2021
5	याचिका क्रमांक 54/2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर की सत्यापन याचिका विषयक आदेश।	24.05.2021
6	याचिका क्रमांक 70/2020 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर की सत्यापन याचिका विषयक आदेश।	12.10.2021

क्रमांक	खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
7	याचिका क्रमांक 05/2021 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	30.06.2021
8	याचिका क्रमांक 19/2021 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु एम.पी.आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	03.09.2021
9	याचिका क्रमांक 20/2021 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु एम.पी.आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर का सत्यापन याचिका विषयक आदेश।	12.10.2021
10	याचिका क्रमांक 62/2021 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर की सत्यापन याचिका विषयक आदेश।	23.03.2022
11	याचिका क्रमांक 04/2022 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	31.03.2022

अध्याय – 4

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश आयोग द्वारा दिनांक 30.06.2021 को पारित किया गया है। इस आदेश की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये जारी विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु राशि रू. 44,814 करोड़ की सकल राजस्व आवश्यकता प्रक्षेपित की गई, जिसके अन्तर्गत विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) में राजस्व अन्तर की राशि रू. 2629 करोड़ दर्शाई गई है। विद्यमान विद्युत दरों के अन्तर्गत इस अन्तर की भरपाई हेतु विद्युत दरों में 6. 23 % की वृद्धि प्रस्तावित की गई।

2. आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु राशि रू. 42,402 करोड़ की सकल राजस्व आवश्यकता को मान्य किया गया है। जिसके अन्तर्गत विद्यमान विद्युत –दर (टैरिफ) में राजस्व अन्तर की राशि रू. 264 करोड़ को मान्य किया गया। इस अन्तर की भरपाई हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) में मात्र 0.63% की वृद्धि स्वीकार की गई ।

3. टैरिफ श्रेणी एल. वी–1 हेतु घरेलू विद्युत–दर की प्रयोज्यता का विस्तार प्रधानमन्त्री आवास योजना के अधीन स्थापित किये गये अफोर्डेबल रेन्टल हाऊसिंग काम्पलेक्स एवं निम्नांकित योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत होम स्टे के लिये भी किया गया :–

(अ) मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीकरण तथा विनियम) योजना 2010, संशोधित 2018
(ब) मध्यप्रदेश बेड स्टे स्थापना (पंजीकरण तथा विनियम) योजना 2019
(स) मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीकरण तथा विनियम) योजना 2019
(द) मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीकरण तथा विनियम) योजना 2019

4. टैरिफ श्रेणी एल.वी. 5.4 (कृषि पम्प एवं कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों) हेतु राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए 10 हॉर्सपॉवर तक विद्युत भार धारित करने वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग राशि रू. 750 प्रति हॉर्सपॉवर प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी। 10 हॉर्सपॉवर से अधिक विद्युत भार धारित करने वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग राशि रू. 1500 प्रति हॉर्सपॉवर प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी।

5. इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से टैरिफ श्रेणी एच.वी.–8 अंतर्गत उच्च वोल्टेज ई–वाहन, ई–रिक्शा चार्जिंग स्टेशन की विद्युत दर में कमी की गई। (स्थायी प्रभार राशि रू. 120 प्रति के.वी.ए. से घटाकर राशि रू. 100 प्रति के.वी.ए. की गई हैं) इसके अतिरिक्त बैटरी स्वेपिंग स्टेशन को भी इस श्रेणी मे सम्मिलित किया गया है।

6. टैरिफ श्रेणी एच.वी.–5 (सिंचाई, जल प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग) की प्रयोज्यता का विस्तार शासन या उसकी एजेन्सी द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली, नदी–सम्पर्क योजनाओं हेतु भी किया गया ।

7. टैरिफ श्रेणी एच.वी.–7 में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए त्रिपक्षीय अनुबंध की आवश्यकता संबंधी प्रावधान को समाप्त किया गया ।

8. टैरिफ श्रेणी एच.वी. 7 जो कि अभी तक ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों हेतु तुल्यकालन (सिंक्रोनाइजेशन) हेतु प्रयोज्य था, की प्रयोज्यता का विस्तार ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादक/विद्युत सह उत्पादन संयंत्रों, को उनके बंद होने (शटडाउन) की अवधि अथवा अन्य आकस्मिकताओं के लिये भी किया गया ।

9. उच्च वोल्टेज के अन्तर्गत वर्तमान में दी जा रही समानुपाती (टाईम ऑफ डे) छूट में परिवर्तन किया गया है तथा इसके स्थान पर 'मौसमी' टाईम आफ डे पद्धति को लागू किया गया, जिसके अनुसार अप्रैल से अक्टूबर माह के दौरान शीर्ष बाह्य (ऑफ पीक) भार अवधि के दौरान 10% की छूट लागू होगी। जबकि माह नवम्बर से मार्च के दौरान विद्यमान छूट 20% को जारी रखा गया ।

इस आदेश मे आयोग द्वारा निम्न छूटों को यथावत जारी रखा गया है :–

1. पूर्व–भुगतान (प्रीपेड) मीटरिंग, अग्रिम देयक भुगतान, त्वरित देयक भुगतानों, ऑनलाइन देयक, भार कारक (लोड फेक्टर) तथा ऊर्जा कारक (पॉवर फेक्टर) पर दी जा रही छूटों/प्रोत्साहनों को बिना किसी परिवर्तन जारी रखा गया ।
2. नवीन तथा विद्यमान उच्च दाब/अति उच्च दाब संयोजनों, केप्टिव पावर संयंत्रों, रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) तथा खुली पहुँच उपभोक्ताओं को प्रयोज्य छूट/प्रोत्साहनों को बिना परिवर्तन जारी रखा गया ।

तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2022 को पारित किया गया । इस आदेश की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये जारी विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की 5 वर्षों की राजस्व आवश्यकता के सम्भावित प्रक्षेपण वक्र (Trajectory) के बारे में और अधिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से, नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 हेतु बहुवर्षीय वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण प्रथम बार किया गया ।
2. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु राशि रू. 48,874 करोड़ सकल राजस्व की आवश्यकता प्रक्षेपित की गई जिसके अन्तर्गत विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) में राजस्व अन्तर की राशि रू. 3,916 की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान विद्युत दरों में 8.71 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई।
3. विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 की राशि रूपये 4,982 करोड़ दावे की सत्यापन याचिका पृथक से प्रस्तुत की गई थी। आयोग द्वारा गहन जाँच के उपरांत मात्र राशि रूपये 226 करोड़ मान्य किए गए।
4. आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू. 45,971 करोड़ की सकल राजस्व आवश्यकता को स्वीकार किया गया, जिसमें वित्तीय–वर्ष 2020–21 की सत्यापन याचिका की स्वीकृत राशि रूपये 226 करोड़ शामिल है एवं विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) में राजस्व अन्तर की राशि रू. 1,181 करोड़ को मान्य किया गया । इस प्रकार इस अन्तर की भरपाई हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) में मात्र 2.64% की वृद्धि स्वीकार की गई ।
5. आयोग द्वारा राशि रू. 1.13 प्रति यूनिट की दर से हरित ऊर्जा टैरिफ (ग्रीन एनर्जी टैरिफ) प्रथम बार निर्धारित किया गया है। यह एक वैकल्पिक टैरिफ है तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के टैरिफ आदेश के अनुसार सम्बंधित श्रेणी के सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त देय होगा। यह उन उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करेगा जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अपनी संविदा मांग की 100 प्रतिशत पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा से करना चाहते हैं।

6. निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (एल.वी.–4), रेल्वे ट्रेक्शन (एच.वी.–1) तथा ई.–व्हीकल/ई–रिक्शा चार्जिंग स्टेशन (एल.वी.–6 एवं एल.वी.–8) टैरिफ श्रेणियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।
7. उपभोक्ताओं पर कोई भी मीटरिंग चार्जेस प्रयोज्य नहीं किये गये हैं।
8. घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये, उन्हें विद्युत बिल का भुगतान ऑनलाइन किये जाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट बिना किसी अधिकतम सीमा के दी जावेगी।

इस आदेश में आयोग द्वारा निम्न छूटों को यथावत जारी रखा गया है :–

9. नवीन तथा विद्यमान उच्च दाब/अति उच्च दाब संयोजनों, विद्यमान निम्नदाब औद्योगिक/गैर घरेलू श्रेणी से तत्सम्बंधित उच्च दाब श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ताओं, केप्टिव पावर संयंत्र उपभोक्ताओं तथा खुली पहुँच उपभोक्ताओं को प्रयोज्य छूट/प्रोत्साहनों की अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 तक विस्तारित कर बिना परिवर्तन जारी ।
10. पूर्व–भुगतान (प्रीपेड) मीटरिंग, अग्रिम देयक भुगतान, त्वरित देयक भुगतानों, ऑनलाइन भुगतान भार कारक (लोड फेक्टर) तथा ऊर्जा कारक (पॉवर फेक्टर), टाइम ऑफ डे पर दी जा रही छूटों/प्रोत्साहनों को बिना किसी परिवर्तन जारी ।

अध्याय – 5

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/परिवर्धन सम्मिलित है।

स. क्रं.	विवरण	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचना/दिनांक
1	म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021	1173/म0प्र0वि0नि0आ0/2021	20.08.2021
2	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021	1023/म0प्र0वि0नि0आ0/2021	30.07.2021
3	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 द्वितीय संशोधन (एजी–39 (ii) वर्ष 2021)	1400/म0प्र0वि0नि0आ0/2021	24.09.2021
4	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय–पुनरीक्षण) विनियम, 2012 में प्रथम संशोधन (एआरजी–8(ii) (i) वर्ष 2021)	984/म0प्र0वि0नि0आ0/2021	16.07.2021
5	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली (पुनरीक्षण प्रथम) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2009।	985/म0प्र0वि0नि0आ0/2021	16.07.2021
6	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में द्वितीय संशोधन	983/म0प्र0वि0नि0आ0/2021	16.07.2021
7	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021	1693/म0प्र0वि0नि0आ0/2021	12.11.2021

स. क्रं.	विवरण	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचना / दिनांक
8	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुँच के लिए निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021	1961 / म0प्र0वि0नि0आ0 / 2021	17.12.2021
9	म0प्र0वि0नि0आ0 (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विनियम तथा सिद्धांत) विनियम, 2021	1817 / म0प्र0वि0नि0आ0 / 2021	03.12.2021

अध्याय – 6

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की कुल संख्या

अनुज्ञापन एवं विनियम संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 24 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 12 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार कुल 36 याचिकाओं में से 26 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 10 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2022–23 में जारी रहेगी।

विनियम प्रवर्तन संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 16 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 23 याचिकाएं शेष थी, इस प्रकार कुल 39 याचिकाओं में से 31 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि शेष 08 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2022–23 में जारी रहेगी।

टैरिफ संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 36 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 17 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार कुल 53 याचिकाओं में से 42 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 11 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2022–23 में जारी रहेगी।

अध्याय – 7

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण कियाविधि की कार्य पद्धति

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.12.2020 को अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 को दृष्टिगत रखते हुये एवं उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्व तथा संतोषप्रद निराकरण की दृष्टि से, दिनांक 20.08.2009 को अधिसूचित विनियमों को, अधिष्ठित करते हुए, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021 दिनांक 30.07.2021 को अधिसूचित किया गया है।

फोरम का गठन

प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपसंभाग, संभाग, वृत्त, क्षेत्र, कम्पनी स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक या एक से अधिक फोरम नियुक्त करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु विद्युत उपभोक्ता की शिकायत निवारण फोरम नामोद्दिष्ट किया जाएगा। ये फोरम उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान 30 दिवस की अवधि के भीतर करेगा, जो किसी भी दशा में 45 दिवस से अधिक नहीं होगा।

फोरम का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। फोरम में अनुज्ञप्तिधारी के दो अधिकारी, एक स्वतंत्र सदस्य, तथा उपभोक्ता एवं उत्पादोंभोक्ता (प्रोज्यूमर) के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी, सम्मिलित होंगें। फोरम की अध्यक्षता अनुज्ञप्तिधारी की उपयुक्त वरिष्ठता के किसी अधिकार द्वारा की जाएगी, जिसे फोरम के अध्यक्ष के रूप में पदांकित किया जाएगा। आयोग एक स्वतंत्र सदस्य को नामोद्दिष्ट करेगा जो उपभोक्ता मामलों से परिचित होगा। तदानुसार तीनों वितरण कंपनियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन किया गया है।

विद्युत लोकपाल

आयोग समय–समय पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा आयोग उचित समझे, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (7) में वर्णित कृत्यों का निर्वहन करने हेतु विद्युत लोकपाल के रूप में नियुक्त अन्यथा पदांकित कर सकेगा । उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता को अपनी शिकायत के निराकरण हेतु विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील करने का विकल्प है । विद्युत लोकपाल विद्युत नियामक आयोग के अंतर्गत भोपाल में कार्यशील है ।

अध्याय – 8

राज्य परामर्शदात्री समिति से संबंधित जानकारी ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत आयोग द्वारा एक राज्य सलाहकार समिति गठित किए जाने का प्रावधान है । इस राज्य सलाहकार समिति में निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार रहता हैः–

वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रमिक/मजदूर, उपभोक्तागण, गैर सरकारी / अशासकीय संगठन, शैक्षणिक और विद्युत क्षेत्रों के शोध संस्थाओं में से चयन उपरांत सदस्य मनोनित कर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है । सलाहकार समिति की बैठक आयोग द्वारा आयोजित की जाती है । समिति में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य हैं । राज्य शासन के, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव, समिति के पदेन सदस्य हैं । राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है :–

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
1	श्री द्वारिका गुप्ता	अध्यक्ष, विंध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रिज, नियर सर्किट हाउस चौक, गली नंबर 3, राजेन्द्र नगर, सतना(म.प्र.)–485001	वाणिज्य
2	श्री महेन्द्र पी. खंते	उपाध्यक्ष, (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, ग्राम पिलिकरर, तालपुरा, रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला–सीहोर (म.प्र.)– 466445	उद्योग
3	श्री प्रहलाद सिंह	ग्राम नोनिया कलन, पोस्ट सिंगोड, तहसील पनागर, जिला–जबलपुर (म.प्र.)	कृषि
4	श्री दयाराम पाटीदार	उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम– बुदियाखेड़ी, पोस्ट–सिधाना, तहसील मनावर, जिला–धार (म.प्र.)–454446	कृषि
5	श्री के.के. तिवारी	मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, परदेशीपुरा, इंदौर (म.प्र.)–452011	श्रमिक/मजूदर
6	सुश्री स्मिता सक्सेना	अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउण्डेशन, सी–99, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जिला – भोपाल (म.प्र.)– 462023	गैर शासकीय संगठन

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
7	श्रीमती अर्चना भटनागर	मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वूमन एण्ड इण्टरप्रेन्यूर, 433/2, नेपियर टाउन, हउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल, जबलपुर (म.प्र.)–462008	गैर शासकीय संगठन
8	श्री बी.ए. सावले	डायरेक्टर, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दुपरा, भोपाल (म.प्र.)– 462023	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
9	श्री विपिन कुमार जैन	म.प्र. लघु उद्योग संघ, ई–2/30, अरेरा कॉलोनी, महावीर नगर, भोपाल (म.प्र.)–462016	उद्योग
10	श्री सी.बी. मालपानी	सचिव , एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रिज, मण्डी दीप, रायसेन – 462046	उद्योग
11	श्री डी.एल. मीना	चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैनेजमेंट, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जबलपुर – 482001	परिवहन
12	श्री राकेश कुमार गौर	ग्राम कुल्हड़ा (डोलरिया), जिला– होशंगाबाद –461116	कृषि
13	श्री रवि गुप्ता	445, कोठवाली मिलोनीगंज, जबलपुर –482002	वाणिज्य
14	श्री एस.एन. गोयल	चेयरमेन एण्ड एम.डी., इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स.) कॉरपोरेट ऑफिस : प्लॉट नंबर. – सी–001/ए/1, 9 वीं मंजिल मैक्स टावर्स, सेक्टर 16बी, नोएडा, (यूपी)–201301	वाणिज्य
15	डॉ. प्रवीण कुमार पाणिग्रही	प्रोफेसर, इंफोर्मेशन सिस्टम एरिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई.आई.एम.), प्रबंध शिखर, राऊ– पीथमपुर रोड़, इंदौर (म.प्र.)–453556	शैक्षणिक
16	श्री राहुल चौधरी	प्रिंसिपल एडवाईजर, (सेंटर फॉर इकोनॉमिक सेक्टर), अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एण्ड पॉलिसी एनालिसिस, सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल –462003	शैक्षणिक
17	प्रो. डॉ. गयूर आलम	सीनियर प्रोफेसर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, केरवा डेम रोड़, भोपाल – 462044	शैक्षणिक